

69

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 39/2022

प्रमीत पुत्र चन्द्रपाल, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 40/2022

राजेन्द्र पुत्र रामकुमार, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 41/2022

विजयपाल पुत्र बनवारी, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 42/2022

विजयपाल पुत्र शेरसिंह, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 47/2022

शेरसिंह पुत्र कालूराम, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 48/2022

कृपालसिंह पुत्र भगवानाराम, जाति मीणा, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 49/2022

महेश कुमार पुत्र शेरसिंह, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 50/2022

सुशील कुमार पुत्र रिसाल, जाति मीणा, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 51/2022

सुनील पुत्र प्रहलाद, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 52/2022

हरफूल पुत्र मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 53/2022

महेन्द्र पुत्र घीसाराम, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 54/2022


रितेश पुत्र महाबीर, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त

अपील संख्या 55/2022

महेन्द्र पुत्र रामकुमार, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

--- अपीलान्त


जिला कलक्टर झुंझुनूं



अपील संख्या 56/2022

बनवारी पुत्र तारुराम, जाति मीणा, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 57/2022

विनोद पुत्र सागर, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 58/2022

नेकीराम पुत्र भुगताराम, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 59/2022

राजेश पुत्र रतनलाल, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 62/2022

बुद्धराम पुत्र घूडाराम, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 63/2022

रुधवीर पुत्र भगवानाराम, जाति खाती, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 64/2022

बाबूलाल पुत्र बिरजूराम, जाति सांसी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 65/2022

सतवीर पुत्र सागर, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 66/2022

जितेन्द्र पुत्र भगुताराम, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 67/2022

अरविन्द पुत्र जगमाल, जाति मेघवाल, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 68/2022

राजेन्द्र पुत्र भगवती प्रसाद, जाति जांगिड, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 69/2022


विशम्भर पुत्र घासीराम, जाति मेघवाल, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 70/2022

सहीराम पुत्र मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त

अपील संख्या 71/2022

जयदीप पुत्र रिसाल, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
— अपीलान्त


जिला कलक्टर झुंझुनू

अपील संख्या 72/2022

इब्राहीम पुत्र कमालखां, जाति मणियार, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

अपील संख्या 93/2022

कर्मवीर पुत्र रिसाल, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

अपील संख्या 103/2022

दलीप पुत्र बल्लाराम, जाति मेघवाल, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

अपील संख्या 104/2022

ओमप्रकाश पुत्र जगदेवाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

अपील संख्या 108/2022

किशोर पुत्र फूलाराम, जाति सांसी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

अपील संख्या 109/2022

भागीरथ पुत्र खमाणाराम, जाति कुम्हार, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

अपील संख्या 119/2022

शंकर पुत्र कासूराम, जाति सांसी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त


अपील संख्या 120/2022

खमाणाराम पुत्र श्योबक्स, जाति कुम्हार, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0) ।
— रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ0 सेक्शन 75 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 04.08.2021 न्यायालय तहसीलदार चिडावा बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम प्रमीत, मुकदमा नम्बर 115/2021, उनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र, मुकदमा नम्बर 114/2021, उनवानी सरकार बनाम विजयपाल, मुकदमा नम्बर 113/2021, उनवानी सरकार बनाम विजयपाल, मुकदमा नम्बर 155/2021, उनवानी सरकार बनाम शेरसिंह, मुकदमा नम्बर 47/2021, उनवानी सरकार बनाम कृपालसिंह, मुकदमा नम्बर 112/2021, उनवानी सरकार बनाम महेश, मुकदमा नम्बर 134/2021, उनवानी सरकार बनाम सुशील कुमार, मुकदमा नम्बर 141/2021, उनवानी सरकार बनाम सुनील, मुकदमा नम्बर 143/2021, उनवानी सरकार बनाम हरफूल, मुकदमा नम्बर 151/2021, उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र, मुकदमा नम्बर 108/2021, उनवानी सरकार बनाम रितेश, मुकदमा नम्बर 147/2021, उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र, मुकदमा नम्बर 116/2021, उनवानी सरकार बनाम बनवारी, मुकदमा नम्बर 144/2021, उनवानी सरकार बनाम विनोद, मुकदमा नम्बर 146/2021, उनवानी सरकार बनाम नेकीराम, मुकदमा नम्बर 156/2021, उनवानी सरकार बनाम राजेश, मुकदमा नम्बर 149/2021, उनवानी सरकार बनाम बुद्धराम, मुकदमा नम्बर 150/2021, उनवानी सरकार बनाम रूघवीर, मुकदमा नम्बर 132/2021, उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल, मुकदमा नम्बर 119/2021, उनवानी सरकार बनाम सतवीर, मुकदमा नम्बर 148/2021, उनवानी सरकार बनाम जितेन्द्र, मुकदमा नम्बर 157/2021, उनवानी सरकार बनाम अरविन्द, मुकदमा नम्बर 129/2021, उनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र, मुकदमा नम्बर 136/2021, उनवानी सरकार बनाम विशम्भर, मुकदमा नम्बर 130/2021, उनवानी सरकार


बनाम
राजस्थान राज्य सरकार

बनाम सहीराम, मुकदमा नम्बर 122/2021, उनवानी सरकार बनाम जयदीप, मुकदमा नम्बर 139/2021, उनवानी सरकार बनाम इब्राहीम, मुकदमा नम्बर 131/2021, उनवानी सरकार बनाम कर्मवीर, मुकदमा नम्बर 140/2021, उनवानी सरकार बनाम दलीप, मुकदमा नम्बर 123/2021, उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश, मुकदमा नम्बर 154/2021, उनवानी सरकार बनाम किशोर, मुकदमा नम्बर 121/2021, उनवानी सरकार बनाम भागीरथ, मुकदमा नम्बर 126/2021, उनवानी सरकार बनाम शंकर, मुकदमा नम्बर 107/2021, उनवानी सरकार बनाम खमाणाराम, मुकदमा नम्बर 127/2021, समस्त मुकदमों में किस्म मुकदमा धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956


उपस्थित:-

1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 25.08.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीलें तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरुद्ध मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं स्थगन के पेश की गई है। उक्त अपीलों में प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीले अपीलान्ट्स निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के द्वारा उक्त मुकदमों में पारित निर्णय दिनांकित 04.08.2021 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक क्रमशः 16.07.2021, 30.06.2021 एवं 28.07.2022 की नियत की जिस पर अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जवाब हेतु प्रार्थना पत्र पेशकर अवसर चाहा जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक क्रमशः 16.07.2021, 30.06.2021 एवं 28.07.2022 को आईन्दा तारीख पेशी के बारे में अवगत नहीं करवाया व अदालत मातहत ने बाला-बाला ही दिनांक 04.08.2021 को अपीलान्ट्स की गैरहाजिरी दिखाकर उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है जबकि जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट्स का मुख्य अधिकार था जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को उसके पक्ष में मूलभूत जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका व अवसर नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाय नहीं किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नहीं फरमाया जबकि योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को ग्राम नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 404/29 कुल रकबा 6.67 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से क्रमशः 324, 400, 220, 100, 90, 1500, 700, 440, 480, 600, 48, 150, 350, 200, 250, 100, 100, 700, 440, 80, 150, 100, 280, 396, 270, 240, 440, 200, 440, 220, 200, 140, 20, 109 एवं 20 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा उक्त अतिक्रमी भाग भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त अतिक्रमी भाग का नियमन बहक अपीलान्ट्स किये जाने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष मामला हाजा को प्रस्तुत करने की सिफारिश नहीं कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा जिसकी वजह से अपीलान्ट्स को न्याय प्राप्त नहीं हो सका और अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का


जिल्हा कलक्टर मुन्सुनू

उल्लंघन कर उतावलेपन में उक्त अपीलधीन निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरुद्ध व कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ है व प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है। अदालत मातहत की पत्रावली पर अगर सही ढंग से गौर फरमाया जाता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध साबित होता है क्योंकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय में यह मानकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है की उक्त अतिकमी भाग किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान का बहक अपीलान्ट कानूनन नियमन नहीं किया जा सकता था। जबकि गै0मु0 कब्रिस्तान भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किये जाने में कानून में व पट्टा जारी करने में कोई रूकावट नहीं है। उक्त अतिकमी भाग भूमि पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत कनेक्शन भी विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है जो मौजूदा समय में लगा हुआ है व जल कनेक्शन भी जलदाय विभाग द्वारा दिया गया है जो मौके पर लगा हुआ है व उक्त भूमि का तहसीलदार चिड़ावा द्वारा जारी पट्टा भी अपीलान्ट्स के पास है व पट्टवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा साबित है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण पर सही ढंग से किसी भी प्रकार से तनिक भी गौर नहीं किया और जान बूझकर आर्बिट्रेरीली उक्त अपीलधीन आदेश दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। अपीलान्ट्स के द्वारा दायर यह अपील प्रथम ही है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 75(1) के तहत पेश है। अतः अपीलें अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं के द्वारा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

उपर्युक्त पैंतीस प्रकरण एक ही ग्राम, एक ही खसरा नम्बर, एक ही भूमि किस्म होने से उक्त प्रकरणों में एक साथ बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया। ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को ग्राम नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 404/29 कुल रकबा 6.67 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से क्रमशः 324, 400, 220, 100, 90, 1500, 700, 440, 480, 600, 48, 150, 350, 200, 250, 100, 100, 700, 440, 80, 150, 100, 280, 396, 270, 240, 440, 200, 440, 220, 200, 140, 20, 109 एवं 20 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिकमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा उक्त अतिकमी भाग की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट्स कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पट्टवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिकमी द्वारा अतिकमण किये जाने की बाबत कोई हत्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पट्टवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा। विवादित भूमि के मौके पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत व जल कनेक्शन भी संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिड़ावा के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।


विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 404/29 कुल रकबा 6.67 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से क्रमशः 324, 400, 220, 100, 90, 1500, 700, 440, 480, 600, 48, 150, 350,


जिला कलेक्टर झुंझुनूं

200, 250, 100, 100, 700, 440, 80, 150, 100, 280, 396, 270, 240, 440, 200, 440, 220, 200, 140, 20, 109 एवं 20 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म कब्रिस्तान की है जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट्स को कोई हक नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट्स की यह अपीले खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट्स ने ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 404/29 कुल रकबा 6.67 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से क्रमशः 324, 400, 220, 100, 90, 1500, 700, 440, 480, 600, 48, 150, 350, 200, 250, 100, 100, 700, 440, 80, 150, 100, 280, 396, 270, 240, 440, 200, 440, 220, 200, 140, 20, 109 एवं 20 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 कब्रिस्तान की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट्स को गै0मु0 कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलान्ट्स की अपीले एक साथ खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 यथावत रखा किया जाता है। अपीले खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिल्हा कलक्टर, झुंझुनूं